पत्रांक–15/आरोप (विभागीय जाँच दल) समस्तीपुर–02–100/2022–..........................(15)/रा0,

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

गिरधारी लाल
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग,
सूचना भवन,
बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक–........................

विषय :– श्री विजय कुमार तिवारी, तत्कालीन अंचल अधिकारी, सरायरंजन, समस्तीपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त (पता–मुहल्ला–दाउदपुर कोठी, पो0–एम0आई0टी, थाना–ब्रह्मपुरा, जिला–मुजफ्फरपुर, पिन–842003) को द्वितीय कारण पृच्छा अभ्यावेदन समर्पित करने हेतु प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक **प्रेस विज्ञप्ति** की प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि राज्य के दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में उक्त सूचना को लगातार दो दिनों तक प्रकाशित कराते हुए अपने विभागीय वेबसाईट पर भी प्रकाशित कराने की कृपा की जाए।

अनु0 :– प्रेस विज्ञप्ति की प्रति।

विश्वासभाजन,

ह0/–
(गिरधारी लाल),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक: 15/आरोप (विभागीय जाँच दल) समस्तीपुर–02–100/2022–1143(15)/रा0, दिनांक–23/07/2026

प्रतिलिपि:–आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. प्रेस विज्ञप्ति एवं निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, सूचना भवन, बिहार, पटना को प्रकाशन हेतु निर्गत पत्र की मूल प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, सूचना भवन, बिहार, पटना के निर्धारित पोर्टल पर अपलोड करते हुए विभागीय प्रशाखा–15 को सूचित करने की कृपा की जाए।

अनु0 :– प्रेस विज्ञप्ति की प्रति।

(गिरधारी लाल),
सरकार के संयुक्त सचिव।

D:\2026_jiten\Press release-26.doc - 12

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस–विज्ञप्ति

सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–3671/2020 रामप्रवेश राय बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक–01.11.2022 के अनुपालन हेतु विषय वस्तु से संबंधित जाँच हेतु विभाग स्तर पर कार्यालय आदेश सं0–1997(7), दिनांक–08.11.2022 द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा अंचल कार्यालय, सरायरंजन, समस्तीपुर की जाँच कर जाँच प्रतिवेदन के आलोक में CWJC संख्या–15951/2019 में दिनांक 07.08.2019 को न्यायादेश पारित होने के समय एवं उसके आगे भी दिनांक–31.08.2021 तक के अंचलाधिकारी सरायरंजन, समस्तीपुर के रूप में कार्य करने वाले अंचलाधिकारी श्री विजय कुमार तिवारी (सेवानिवृत्त–31.08.2021) द्वारा माननीय उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक–07.08.2019 का अनुपालन नहीं करने संबंधी आरोपों के लिए विभाग स्तर पर गठित आरोप पत्र के आलोक में विभागीय संकल्प सं0–1690(15), दिनांक–11.09.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। तदोपरान्त अपर समाहर्त्ता– सह–संचालन पदाधिकारी, समस्तीपुर के पत्रांक–79मु0/रा0, दिनांक–06.06.2024 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जाँच प्रतिवेदन में आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है। प्रमाणित आरोपों के संबंध में विभागीय पत्रांक–1206(15), दिनांक–18.07.2024 द्वारा द्वितीय कारण–पृच्छा/अभ्यावेदन समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया है, जो सम्प्रति अप्राप्त है।

अतएव इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आपको (श्री तिवारी) सूचित किया जाता है कि प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के अन्दर अपना द्वितीय कारण पृच्छा/अभ्यावेदन समर्पित करना सुनिश्चित करें, अन्यथा निर्धारित समय के अन्दर अभ्यावेदन अप्राप्ति की दशा में यह माना जायेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है और नियमानुसार अग्रेतर निर्णय ले लिया जाएगा।

(गिरधारी लाल),
सरकार के संयुक्त सचिव।

D:\2026_jiten\Press release-26.doc - 11